

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना.....
 रामकेश बनाम विनय बगौराह.....
 किस्म मुकदमा दावा 53, 188 आरटी एक्ट नं सन् 328/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल मे जारी हुए
30/12/25	दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को जरिये समन साधारण / रजिस्टर्ड से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.04.2026 को पेश हों।	
6/4/26	<p>पीठस्थीन अधिकारी को पेश है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक को पेश है। 25/6/26 [Signature] [Stamp]</p>	<p>[Stamp: उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)]</p>
23/4/26	<p>प्रकटा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तारीख पेशी से पूर्व तलब किया गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी द्वारा जाहिर किया कि हम उभयपक्ष में आपस में राजीनामा हो गया है। प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता। वादी की पहचान लुडो लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा की गई।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फाइल नम्बर और नम्बर से समस्त खास-तमिल दस्तावेज दस्तूरत है।</p>	<p>[Stamp: उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)]</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/11/26

पीछसीम अधिकारी... ओ.एस.डी.एम. ... है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है।

10/2/26

रीडर

ओ/एस.डी.एम.

10/2/26

प्रकरण पेश हुआ प्रकरण में पूर्व आदेशों की पालना नहीं। अब मूल वाद में 2001 की ऑर्डर के साथ तलवाना पेश करना सुनिश्चित कर प्रकरण दिनांक 21/11/26 को पेश हो।

27/4
26

~~प्रकरण पेश हुआ। 150 शब्दीनीगल हुआ। प्रकरण में वा-वाए में उपरान्त की पूर्व आदेशों की पालना नहीं की गई।~~

आतः प्रकरण इसी स्तर पर आदेश सुनिश्चित 3 सी पीसी के तहत हुक्म जपली में श्वारिज किया जाता है पत्रावली के जल शुभारक्षण नम्बर के मग से वाद-तकगील शकिल दफ्तर है।